

## कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / 190 / राहत / 2017

रीवा, दिनांक 25/05/2017

### निविदा सूचना

बाढ़ बचाव कार्य हेतु बाढ़ सामग्री कय की जानी है। पंजीकृत निविदाकर्ता बाढ़ सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा कलेक्टर कार्यालय रीवा के राहत कक्ष में दिनांक 09/06/2017 समय 5.30 बजे तक सील बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 12/06/2017 को दोपहर बाद समय 3 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी।

क्रमांक	सामग्री का नाम
01	इन्प्लेटेबिल रबर मोटर बोट साथ ओ.बी.एम. 40 एच.पी. 2 स्टोक एवं 25 एच.पी. 4 स्टोक मय चप्पू
02	एच.डी.पी.ई. बोट साथ 40 एच.पी. 2 स्टोक ओ.बी.एम.
03	रेस्क्यू स्ट्रेचर (फोल्डिंग)
04	लाइफ ब्याएज
05	लाइफ जैकट
06	फ्लोटिंग रोप लान्चर
07	स्टैन्ड ओ.बी.एम.
08	अन्डर वाटर सर्च लाईट
09	नाईट बिजन अन्डर वाटर सर्च कैमरा
10	बिलाई (काटा)
11	पुल्ली सिंगल
12	पुल्ली डबल
13	स्नेक केचर किट
14	ग्लब्स हैवी ड्यूटी
15	वाटर प्रूफ ड्राइविंग सूट
16	सेपटी हेल्मेट
17	स्कूवा टाईप स्टेचर
18	एल्मूनियम बोट 8 सीटर 10 सीटर मय ओ.बी.एम. 40 एच.पी. 4 स्टोक मय चप्पू
19	मेगा फोन
20	टार्च रिचार्जबल
21	गन विथ रोप
22	कमलांग
23	हायड्रोलिक कटर
24	फायर एसटीव्यूसर CO-2
25	फायर एसटीव्यूसर डी.सी.पी.टाइप

### निविदा की शर्तें:-

01. निविदाकर्ता को सामग्री सप्लाय करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव व रजिस्ट्रेशन एवं टिन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
02. परिवहन व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
03. निविदा के साथ 50 हजार रूपए (पचास हजार रूपए) की डी.डी. कलेक्टर रीवा के नाम से अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
04. प्रदाय की गई समस्त सामग्री का एक वर्ष तक मेंटेन्स करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। अन्यथा स्थिति में अमानत राशि जप्त की जा सकेगी।
05. मेंटेनेन्स कार्य हेतु निविदाकर्ता को एक दक्ष कर्मचारी स्थायी रूप से एक वर्ष के लिए कार्यालय में नियुक्त करना होगा।

(कम्रश: पेज 2 पर)

(2)

06. आपदा की स्थिति में कलेक्टर द्वारा नियत समय-सीमा में बिना विलम्ब के सामग्री संधारण और उसे तत्काल उपयोग योग्य बनाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
07. निविदा स्वीकार करने या न करने का पूर्ण एवं अन्तिम अधिकार कलेक्टर रीवा को होगा।
08. प्रदाय की गई सामग्री का केटलॉग तथा स्पेसिफिकेशन संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा प्रस्तुत करते समय प्रदाय की जाने वाली सामग्री का सेम्पल भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
09. निविदा स्वीकृत किए जाने के 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में रीवा जिले के अन्तर्गत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।


(राहुल जैन)  
कलेक्टर

जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा , दिनांक 25/05/2017

पृ0कमांक / 190 / राहत / 2017  
प्रतिलिप,

01. राहत आयुक्त मध्यप्रदेश शासन अरेरा हिल्स भोपाल
02. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा।
03. आयुक्त जन सम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पॉच अतिरिक्त प्रतियों सहित अग्रेषित। कृपया उक्त निविदा का प्रकाशन प्रमुख स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
04. उप संचालक जन सम्पर्क रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 05 प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्ट्रेट रीवा की ओर पालनार्थ।

  
कलेक्टर  
जिला रीवा (म.प्र.)